न्यायालय उपखण्ड आधिकारी कठूमर जिला अलवर

1/95A/2016 तारीख रजू..........

दावा

प्रहलाद सहाय बनाम महेन्द्र बैरागी

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| -6/16 | वकील वादी उपस्थित। यह दावा वादी के वकील ने पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादी गण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 19.7.16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 19.7.16 | वकील वादी उपस्थित। प्रति० 7 की ओर से श्री श्यामलाल गुर्जर एडवोकेट तथा 1, 4 ता 6, 8 ता 10 की ओर से श्री राजप्रकाश शर्मा एडवोकेट उपस्थित वकालतनामा पेश किया। P.O. जवाब पेश हो। पत्रावली दिनांक 30/8/16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| | ..........उपस्थित। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:17 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
|---|---|
| 13/7/23 | वकीलान उपस्थित प्रा०पत्र O 7 R 11 CPC पर बहस वकीलान सुनी गयी वास्ते आदेश दिनांक 17/7/23 को पेश हो [signature] |
| 17/7/23 | वकीलान उपस्थित अत: पूर्व कार्यवाही O 7 R 11 CPC साबित होने के कारण स्वीकार योग्य पाया जाता है अत: प्रा०पत्र O 7 R 11 CPC स्वीकार कर मूलवाद को सर्वे स्टेज पर खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा०मि० किया गया पत्रावली मियाद शुमार होकर नकल के बाद हो व तकमील जिला अभिलेखागार भेजी जावे। सुनाया [signature] |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:17 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

**प्रहलादसहाय        बनाम        महेन्द्र वगैरा**

**मुकदमा नम्बर 1/95ए/2016**

**दावा हुक्मइन्तनाई दवामी**

**प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0**

## आदेश                    दिनांक 17.07.2023

प्रतिवादी सं0 7 गिरधर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य से प्रकार से है कि वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है मिन प्रतिवादी सं0 7 ने वक्त खरीद से ही अपने मकान के तरफ उत्तर में दरबाजा, जंगला, मोरी, रोशनदान, छजली निकाल रखी है तथा नगरपालिका के नक्शे में भी प्रार्थी के मकान के तरफ उत्तर मे 20 फुट चौडा रास्ता छोड रखा है जो आबादी भूमि में है उसी में दरबाजा निकाला हुआ है। प्रार्थी ने अपने पटटे के मुताविक रास्ता की तरफ दरबाजा, छजली, जंगला, मोरी, रोशनदान निकाल रखे है जोकि आबादी भूमि में निकले हुये है। वादी की भूमि से प्रार्थी का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और आबादी भूमि से सम्बन्धित जंगला, मोरी रोशनदान, छजली दरबाजा आदि को बन्द कराने से सम्बन्धित वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार अदालत श्रीमान को नहीं है अतः दावा वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गयी। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाव पेश न कर सीधी बहस करने का निवेदन किया।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मिन प्रतिवादी सं0 7 ने वक्त खरीद से ही अपने मकान के तरफ उत्तर में दरबाजा, जंगला, मोरी, रोशनदान, छजली निकाल रखी है तथा नगरपालिका के नक्शे में भी प्रार्थी के मकान के तरफ उत्तर मे 20 फुट चौडा रास्ता छोड रखा है। उसी में दरबाजा निकाला हुआ है। प्रार्थी ने अपने पटटे के मुताविक रास्ता की तरफ दरबाजा, छजली, जंगला, मोरी, रोशनदान निकाल रखे है व दरबाजा पर सीढीयो का सीसेदार टावर बना हुआ है जो कि आबादी भूमि में निकले हुये है उधर 20 फुट चौडा रास्ता आज भी मौके पर कायम एंव जारी है जो आबादी भूमि में है वादी की भूमि से प्रार्थी का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और आबादी भूमि से सम्बन्धित जंगला, मोरी रोशनदान, छजली दरबाजा आदि को बन्द कराने से सम्बन्धित वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार अदालत श्रीमान को नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अधिवक्ता प्रतिवादी के कथनों का विरोध किया व कथन किया कि वाद वादी कृषि भूमि से सम्बन्धित है जो अदालत श्रीमान के सुनवाई के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। प्रतिवादी सं0 7 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि मौजूदा दावा को सुनने का अधिकार अदालत श्रीमान को नहीं है कानूनन जहां अदालत को क्षैत्राधिकार न हो या वाद किसी कानून से वर्जित हो या उचित कोर्ट फीस पर दावा पेश नहीं किया गया है तो उसे किसी भी स्टेज पर खारिज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukhai Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...(अलवर) राज०

जा सकता है। दावा में मियाद व कोर्ट फीस पर कोई विवाद नहीं है लेकिन प्रतिवादी का कथन कि दावा वादी अदालत श्रीमान के क्षैत्राधिकार में नहीं है जिस कारण वाद वादी कानून से बाधित है। वादी के वाद के पैरा सं0 4 में यह अंकित है कि प्रतिवादी सं0 7 ने व अन्य प्रतिवादीगण ने अपने अपने मकानों के तरफ उत्तर में दरबाजा, छजली, मोरी रोशनदान आदि लगा रखे है जिनको वादी ने बन्द कराने का अनुतोष अदालत हाजा से चाहा है। कानूनन मकानों में लगी मोरियां, छजली, रोशनदान, दरबाजे आदि को बन्द कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय न होकर सिविल न्यायालय को है। वादी ने राजस्व न्यायालय से इस तरह का अनुतोष चाहा है जिस अनुतोष को राजस्व न्यायालय को देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वादी ने यह सावित नहीं किया है कि प्रतिवादीगण के मकानों के तरफ उत्तर में मोरी, रोशनदान, जंगला, छजली, दरबाजा आदि वादी के खातेदारी के खेत में हो और न ही वादी ने ऐसी कोई कानूनी नजीर पेश कर पाया जिससे यह सावित होता हो कि वाद वादी अदालत हाजा के सुनवाई के क्षैत्राधिकार में हो इस वजह से दावा वादी क्षैत्राधिकार से परे होने से कानून से प्रतिबन्धित पाया जाता है। प्रतिवादी अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहा है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद वादी हुक्मइन्तनाई दवामी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 17.07.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:43:17 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)